

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा मे,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-२४/०३/2025

विषय:- राज्य के सुपौल जिला में लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु० 603,68,00,000/-(रुपये छः सौ तीन करोड़ अरसठ लाख) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना मद में रु० 60,00,00,000/-(रुपये साठ करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 मे बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा इस योजना अर्थात् लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सुपौल मे 150 नामाकन क्षमता के साथ 630 बेड के अस्पताल के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये रु० 603,68,00,000/-(रुपये छ सौ तीन करोड़ अरसठ लाख) मात्र का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन (प्रारम्भिक परियोजना प्रस्ताव) की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या-108(7), दिनांक-11.07.2022 के द्वारा दी गयी है।

2-इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है-

क्र०स०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० मे)	व्ययादेश स० एवं दिनांक
1	2023-24	5,00,00,000	स०-195(7), दिनांक-28.08.2023
2	2023-24	20,00,00,000	स०-641(7), दिनांक-14.03.2023
3	2024-25	1,50,00,000	स०-80(7), दिनांक-25.06.2024
4	2024-25	25,00,00,000	स०-131(7), दिनांक-16.08.2024
5	2024-25	25,00,00,000	स०-151(7), दिनांक-29.08.2024
6	2024-25	42,66,00,000	स०-306(7), दिनांक-23.12.2024
7	2024-25	5,00,00,000	स०-495(7), दिनांक-10.03.2025
8	2024-25	27,34,00,000	स०-539(7), दिनांक-20.03.2025
	कुल-	1,51,50,00,000	

3- अतएव राज्य के सुपौल जिला मे लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु० 603,68,00,000/-(रुपये छः सौ तीन करोड़ अरसठ लाख) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना मद में रु० 60,00,00,000/-(रुपये साठ करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4- कार्यकारी एजेन्सी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा योजना का क्रियान्वयन/राशि का व्यय, स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स०-108(7), दिनांक-11.07.2022 मे निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

5- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017, 7111/वि०(2), दिनांक-28.07.2022 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6- इस राशि के व्यय का वहन माग राख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुराधान-050-भूमि- 0103-नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड-20-4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0103-53-01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

7-इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8- वित्त विभाग पत्र संख्या- 2867, दिनांक-13.03.2025 की कड़िका-2(ii) में दिये गये निर्देश के आलोक में पी०एल०खाता में राशि अंतरण के मामले में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

9-अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउन्ट स०-PBBPLA007विपत्र कोड-00-8448001110002-0001के अन्तर्गत ledger ID-----में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

10-बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda)ज्ञापन तथा व्यय के सुसंगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

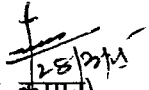
11- प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

12-प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सविका संख्या-07/बजट-46-02/2022 के पृष्ठ-45/टि० में प्राप्त है।

13-राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14-यह मात्र व्ययदेश है, आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शैलेश कुमार)

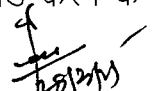
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापाक-07/बजट-46-02/2022 - 590(7) /स्वा०, पटना, दिनांक-28/03/2025

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा पटना/प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सुपौल/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-7, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना /आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निदेश के साथ प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव।